भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2905

जिसका उत्तर 03 अगस्त, 2022 को दिया जाना है।

12 श्रावण, 1944 (शक)

आधार के मतदाता पहचान पत्र से लिंकेज का दुरुपयोग

2905. सुश्री मिमी चक्रवर्ती :

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आधार के साथ मतदाता पहचान-पत्र तथा बैंक और अन्य संस्थागत संगठनों के साथ इसे जोड़ने संबंधी दुरुपयोग को रोकने के प्रावधान हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या मतदाता पहचान-पत्र डेटाबेस के अंतर्गत आंकड़ा आधार से जुड़े सभी डेटाबेस के डेटा के साथ जुड़ सकता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ड.) क्या सरकार ने आधार डेटा के किसी भी उद्देश्य के लिए संभावित दुरुपयोग और उसकी रूपरेखा की जांच की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने की संभावना है ?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री राजीव चंद्रशेखर)

(क): जी, हाँ।

(ख): आधार पहचान मंच का उपयोग कर मतदाता सूची में मतदाताओं का प्रमाणीकरण, आधार अधिनियम, 2016 (यथासंशोधित) की धारा 4 के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार प्रदान किया जाता है।

इसके अलावा, आधार अधिनियम की धारा 8(2) और 8(3) के प्रावधानों के अनुसार, निवासी की सहमति लेने के बाद, उसकी आधार संख्या का उपयोग केवल निवासी को सूचित किए गए उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है।

(ग): जी, नहीं।

(घ): यह प्रश्न ही नहीं उठता है ।

(ड.): जी, नहीं । आधार डेटा के दुरुपयोग और उसकी प्रोफाइलिंग की ऐसी कोई घटना यूआईडीएआई के संज्ञान में नहीं आई है।

(च): यह प्रश्न ही नहीं उठता है।

****